21.02.2
Not maintainable
same nature
petition
already dismissed

न्यायालय, अवर न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

विभाजन वाद–48 / 2015

देव नारायण प्रसाद.............................वादी

बनाम

गया प्रसाद महतो वगैरह...प्रतिवादीगण

25.04.25 अभिलेख आज वादी की ओर से आदेश दिनांक–25.10.2024 को वापस लेने हेतु दाखिल आवेदन दिनांक–21.02.2025 तथा उसके तत्संबंधित प्रत्युत्तर दिनांक–28.02.2025 पर सुनवाई पश्चात् आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वर्तमान वाद में दिनांक–04.10.2024 को वादी साक्ष्य बन्द प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत किया गया जिसके पश्चात् दिनांक–25.10.2024 को प्रतिवादी साक्ष्य बन्द करते हुए अभिलेख वादी के बहस हेतु नियत किया गया तथा जिसके पश्चात् वादी ने एकपक्षीय आदेश हेतु आवेदन दाखिल किया जो दिनांक–15.01.2025 को खारिज किया गया तथा पुनः वादी ने उसी आशय का दूसरा आवेदन एकपक्षीय आदेश दिनांक–25.10.2024 को वापस लेने हेतु दाखिल किया है जो भी अवलोकनार्थ स्पष्ट प्रतीत होता है कि कोई भी वाद–कारण स्पष्ट नहीं है और न ही आवेदन पोषणीय है। अतः वादी को पुनः उसी आशय का रिकॉल को वापस लेने हेतु दाखिल आवेदन स्वीकृत किया जातना और साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना वाद के त्वरित निष्पादन में विलंब को प्रदर्शित करेगा एवं वाद के अंतिम न्याय–निर्णयन में बाधा उत्पन्न करने जैसा प्रतीत होता है, चूँकि वादी को पर्याप्त अवसर अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु दिया गया है। तद्नुसार वादी द्वारा दाखिल उपरोक्त आवेदन को पोषणीय एवं तथ्यपरक न पाते हुए खारिज किया जाता है तथा अभिलेख पुनः वादी बहस हेतु नियम किया जाता है। वादी को निर्देश दिया जाता है कि अगली निश्चित तिथि को अविलंब अपना बहस पूर्ण करें।

वाद दिनांक– 02-05-2025 वास्ते पुनः वादी बहस हेतु नियत किया जाता है।

अवर न्यायाधीश,
शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर।